GOVERNEMNT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

No. 2014/TG-1/20/P/STBS New Delhi, dt 15 .1.2015

The General Managers
All Zonal Railways

(COMMERCIAL CIRCULAR NO.01 OF 2015)

Sub: Senior Scale Officers' committee for assessment of need to appoint STBS (Stations Ticket Booking Sewak)

Ref: Commercial Circular No. 66/2013.

As per extant provisions under para 2(a) of the Scheme enclosed with CC 66/2013, the need to appoint STBS is to be assessed by a committee consisting of JA Grade Officers from Commercial, Operating and Accounts Depts. of the concerned Division and as per para 2(e) Sr. DCM will be the accepting authority in case of recommendations (for appointment of STBS) made by the Assistant Scale tender committee

2. In this regard, references have been received from some Zonal Railways advising the problems being faced by them in floating of tenders due to non-availability of JAG officers in all the Divisions. The Railways have therefore, requested to modify these instructions and to revise the level of the assessment committee so that the project of STBS can be implemented successfully.

3. The matter has been examined in Board. Accordingly, in partial relaxation of instructions issued vide para 2(a) of CC 66/2013, it has been decided that in order to facilitate proliferation of STBS in Divisions which do not have JAG level officers, Zonal Railways may appoint Senior Scale Officers on the Committee which is required to assess the need for STBS.

4. It has further been decided that in Divisions where a JA Grade Officer (Sr. DCM) is not available, the **accepting authority** as mentioned in para 2(e) shall be at the level of Divisional Commercial Manager who is a Sr. Scale Officer.

5. Necessary instructions may be issued to all concerned.

6. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

(Sanjay Manocha)
DDTC/G-II
Railway Board

No. 2014/TG-1/20/P/STBS New Delhi, dt 15 .1.2015
Copy to :

FA&CAO, all Zonal Railways
Director (Audit), All Zonal Railways

(M.K. Dubey)
For, Financial Commissioner, Railways

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2014/टीजी-1/20/एसटीबीएस   नई दिल्ली, दिनांक 15.01.2015

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीये रेलें.

(2015 का वाणिज्य परिपत्र सं. 01)

विषय:- एसटीबीएस (स्टेशन टिकट बुकिंग सेवक) की नियुक्ति की आवश्यकता का आकलन करने के लिए 'वरिष्ठ वेतनमान अधिकारियों' की समिति।

संदर्भ: वाणिज्य परिपत्र सं. 66/2013.

वाणिज्य परिपत्र सं. 66/2013 के साथ संलग्न इस योजना के पैरा 2(क) के तहत मौजूदा प्रावधानों के अनुसार संबंधित मंडल के वाणिज्य, परिचालन और लेखा विभागों के जूनियर प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों की समिति के द्वारा स्टेशन टिकट बुकिंग सेवक की नियुक्ति की आवश्यकता का आकलन किया जाना है और पैरा 2(ङ) के अनुसार सहायक वेतनमान निविदा समिति द्वारा की गई सिफारिशों (एसटीबीएस की नियुक्ति के लिए) के मामले में सीनियर डीसीएम स्वीकृतिकर्त्ता प्राधिकारी होंगे।

2. इस सबंध में, कुछ क्षेत्रीय रेलों से पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें सभी मंडलों में जेएजी अधिकारियों के न होने की वजह से निविदाओं को आमंत्रित करने में उन्हें आ रही समस्याओं के बारे में सूचित किया गया है। अत: रेलों ने अनुरोध किया है कि इन अनुदेशों को आशोधित किया जाए और आकलन करने वाली समिति के स्तर को संशोधित किया जाए ताकि एसटीबीएस योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा सके।

3. बोर्ड में इस मामले की जांच की गई है। तदनुसार, वाणिज्य परिपत्र सं. 66/2013 के पैरा 2(क) के तहत जारी किए गए अनुदेशों में आंशिक छूट देते हुए, यह विनिश्चय किया गया है कि ऐसे मंडलों, जिनमें जेएजी स्तर के अधिकारी नहीं हैं, में एसटीबीएस की संख्या बढ़ाने के लिए, क्षेत्रीय रेलें वरिष्ठ वेतनमान वाले अधिकारियों को उस समिति, जो एसटीबीएस की आवश्यकता का आकलन करने के लिए अपेक्षित है, में नियुक्त कर सकती हैं।

4. आगे यह भी विनिश्चय किया गया है कि ऐसे मंडल, जहां जेए ग्रेड के अधिकारी (सीनियर डीसीएम) नहीं है, में पैरा 2 (ङ) में दिए गए अनुसार **स्वीकृतिकर्त्ता प्राधिकारी**, मंडल वाणिज्य प्रबंधक, जो एक वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी होता है, के स्तर का होगा।

5. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(संजय मनोचा)
उप निदेशक यातायात वाणिज्य/जी-।।
रेलवे बोर्ड

सं. 2014/टीजी-1/20/एसटीबीएस नई दिल्ली, दिनांक 15.01.2015

प्रतिलिपि प्रेषित:

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें
निदेशक (लेखा परीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें।

मनोज दुबे
कृते वित्त आयुक्त, रेलें